

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-09/2017/ 510

दिनांक : 4/8/17

-: आदेश :-

श्रीमान संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.12020/1/2013-एनआरएचएम-IV दिनांक 27.01.17 के क्रम में Post Graduate Diploma In Public Health Management(PGDPHM) Course 2017-18 में एक वर्ष के कोर्स के लिए निम्न लिखित चिकित्सकों को निम्न शर्तों के अध्याधीन कोर्स हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	पदस्थापन स्थान
1	डॉ० धर्मेश आर्य	चि०अ०, सामु०स्वा०केन्द्र, सेलु(सवाईमाधोपुर)
2	डॉ० प्रतीक तिवाड़ी	चि०अ०, प्रा०स्वा०केन्द्र, मरवा(जयपुर)
3	डॉ० जितेन्द्र कुमार बगड़िया	चि०अ०, राजकीय चिकित्सालय, अजीतगढ(सीकर)
4	डॉ० राजेन्द्र गोरा	चि०अ०(दन्त), सामान्य चिकित्सालय, केकड़ी(अजमेर)

शर्तें :-

1. कोर्स फीस व अन्य कोई वित्तीय भार यदि कोई हो तो वह एन.एच.एम द्वारा वहन किया जायेगा।
2. कोर्स अवधि राजस्थान सेवा नियम के अनुसार ड्यूटी मानी जायेगी।
3. प्रशिक्षण उपरान्त चिकित्सक द्वारा पांच लाख रुपये का क्षतिपूर्ति बॉन्ड कार्यग्रहण करने के समय संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रशिक्षणार्थी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत करने उपरान्त ही इन्हें कोर्स के लिए कार्यमुक्त करेंगे।
4. कोर्स समाप्ति पश्चात कम से कम पांच वर्ष की राज्य सेवा करनी होगी।

शासन सचिव एवं

मिशन निदेशक(एनएचएम)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-09/2017/ 510

दिनांक : 4/8/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र क्रमांक एफ.12020/1/2013-एनआरएचएम-IV दिनांक 27.01.17 के क्रम में
4. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एन.एच.एम, मुख्यालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को भेजकर लेख है कि आप संबंधित चिकित्सक से 100/- रुपये का शपथ पत्र शर्त संख्या 3 के अनुसार नोटेरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र प्राप्त कर इन्हें प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें।
7. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
8. प्रभाषी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान जयपुर।